

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जगदीश कुमार पुत्र ओकाराम गाव मुकनपुरा पोस्ट जागुंदा तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड जंक्शन प्रथम सूचना अपील संख्या :- 78/2021 जीसीएमएस नं. :- 2021/266 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>4/3/22</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 02.8.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मारवाड जंक्शन से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (उपपंजियक) मारवाड जंक्शन ने जरिये पत्रांक/पंजीयन/2022/61 दिनांक 24.02.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (उपपंजियक) मारवाड जंक्शन द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान इस न्यायालय में उपस्थित हुए है। अतः यह माना जाता है कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 4/3/22 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। <p>(नमित्त मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	